


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व मस जो कि... तालिका...
<p>1.5.18</p> <p><u>वाडीअर्थ</u></p> <p>0 नं 2 नं 1 2 1 2</p> <p>पक्षकारों के लिये</p> <p>राजेशभाभीका</p>	<p>फरावली लोक सदासत के नप आडगांव के घेरा हुई। वादीगण उपस्थित, प्रतिवादी नं. 1 एवं प्रतिवादी नं. 2 का पुत्र हृषण बुदारी उप. उपस्थित पक्षकारान की लखदीत अरफ्यं ग्राम फ्यापत आडगांव द्वारा प्रमाणित की गई। पक्षकारान ने अफत किये कि प्रतिवादी नं. 1 मोहनलाल प्रभुलाल के गोद चला गया है, तथा प्रभुलाल की काराजी में मोहनलाल का नाम दर्ज हो चुका है, जकाबंदी सधंग है। जिससे मोहनलाल का नाम प्रजाप के खोले की काराजी में डिलीट किये जाने में उभयपक्ष सहमत है। तथा कसमालि बानत कोदेशिका पर हत्यादोर किये। फरावली का भवलोहन किया तथा उपस्थित दस्तावेजों पर भवलोहन करने के उपरान्त हम सह फते है कि पक्षकारान (वादीगण) के मध्य विवाद उत नावत है कि मोहन लाल प्रभुलाल के गोद चले जाने के उपरान्त भी मोहनलाल का नाम प्रजाप की काराजी में दर्ज है। मोहनलाल का नाम प्रभुलाल की काराजी में पुत्र के रूप में दर्ज किया है तथा ग्राम फ्यापत द्वारा जारी प्रमाण पत्र से प्रमाणित है कि मोहन लाल प्रभुलाल का गोद पुत्र है। उपरोक्त वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।</p>	<p>प्रतिवादी</p> <p>नं. 1</p> <p>नं. 2</p> <p>पुत्र बुदारी</p> <p>वाडी</p> <p>राजेशभाभीका</p>


क

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो किस हुकम की
तामील में जारी हुए

हिदायत नद नदीगण उमयपक्ष की मशीन
के लोक अदालत की मालना से
अधिकार दिया जाकर ग्राम झाडागांव २३०
दीगोद रिपल खेत नं० ७२ रकबा २.१७ हे.
ख.नं० ७४ रकबा १.६६ हे., ख.नं० ७९ रकबा
१.५३ हे., ख.नं० २६२ रकबा ०.१८ हे. कुल
रकबा ४ रकबा ६.३४ हे. में अंकित
मोहन लाल पुत्र प्रताप का नाम दिल्ली मिसे
जाने का आदेश दिया जाता है। लक्ष्मण
दिही जाती हो। निर्णय मजमे नाम में
अरे इजलास सुन्या गया। पत्रावली
कैसल सुफार होकर राखिल दफ्तरे हो।


ज.क.सिंह (जज)


०१/०५/१८

डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प झाडगांव

उनवान

1. नृसिंह पुत्र प्रताप जाति भीणा
 2. बनवारी लाल पुत्र प्रताप जाति भीणा
 3. राधेश्याम पुत्र प्रताप जाति भीणा निवासीगण झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा
- वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल जाति भीणा निवासी झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा
 2. सुशीला बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी मन्ना लाल जाति भीणा निवासी खेडली उसारा तहसील
इन्द्रगढ जिला बूंदी
 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89-188 आरटीएक्ट
मिसल नम्बर- 132/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.
बहाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि “वाद वादीगण उभयपक्ष ही सहमति से लोक अदालत की भावना से
स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम झाडगांव तहसील दीगोद स्थित ख0नं0
72 रकबा 2.97 हे0, ख0नं0 78 रकबा 1.66 हे0, ख0नं0 79 रकबा 1.53 हे0, ख0नं0 262
रकबा 0.18 हे0 कुल कित्ता 4 रकबा 6.34 हे0 भूमि में अंकित मोहनलाल पुत्र प्रताप का नाम
डिलीट किया जावे।” तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 01.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद